उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1982–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 24–60–पी / 98(टी0सी0–1), दिनांक : 06 सितम्बर, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या : 11 / 2024 / सा–3–227 / 10–19099 / 4 / 2024, दिनांक 12 जून, 2024, जिसके माध्यम से दिनांक 30 जून / 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून / 31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई / 01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े जाने का आदेश निर्गत किया गया हैं, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1982–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. निदेशक (पेंशन), पेंशन निदेशालय (उ0प्र0), आई0एफ0एम0टी0आर0 कैम्पस, सेक्टर–25, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. निदेशक (कोषागार), कोषागार निदेशालय (उ0प्र0), जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 09 अगस्त, 2024 को सम्पन्न 204वीं बैठक के मद संख्या–204(22) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
06.09.24
(ए0के0 निगम)
संयुक्त सचिव (अरा0)

संख्या: 11/2024/ सा-3-227/10-19099/4/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 12 जून, 2024

विषय- दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियाँ दिनांक 01.01.2006 से लागू की गई हैं, जिसमें कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 जुलाई को अनुमन्य की गई। तत्पश्चात, वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियाँ दिनांक 01.01.2016 से लागू की गई, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी को चुनने का विकल्प दिया गया है।

2. राज्य सरकार के अनेक अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर प्रति वर्ष दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होते हैं जिन्हें यथास्थिति क्रमशः 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतन वृद्धि अनुमन्य होती है परन्तु उन्हें आगामी वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जाती क्योंकि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी मात्र एक दिन पूर्व अर्थात् 30 जून/31 दिसम्बर को अधिवर्षता आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं।

3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में यह निर्णय दिया गया है कि चूकि उक्त कर्मचारी वेतनवृद्धि के उपरान्त 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते है, अतः उन्हें वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी विभिन्न वादों में इसी आशय के आदेश पारित किये गए है।

4. मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून/ 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि

दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय।

दिनांक 01 जुलाई को वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था दिनांक-01.01.2006 से प्रभावी वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गयी है। अतः इन आदेशों से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक-01.01.2006 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व सम्बंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हे एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक-01.01.2016 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिको पर भी लागू होगी जो सम्बंधित वर्ष की 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी।

उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 11/2024/सा-3-227(1)/10-19099/4/2024 एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. इरला चेक अनुभाग।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।